चेयरमैन पद के लिए बढ़ गया इंतजार

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : हरियाणा में बोर्ड एवं निगमों के चेयरमैन बनने के लिए भाजपाइयों को अब लंबा इंतजार करना पड़ेगा। करीब एक साल के बाद प्रदेश सरकार ने चेयरमैन बनाने की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन पंचायत चुनाव की आचार संहिता की वजह से यह अधर में लटक गई है।

पंचायत चुनाव के तुरंत बाद राज्य सरकार निकाय चुनाव कराने जा रही है। उसके बाद विधानसभा का बजट सत्र चलेगा, जिसके चलते भाजपा कार्यकर्ताओं को मार्च तक बोर्ड एवं निगमों की चेयरमैनी के लिए इंतजार करना मजबूरी हो गया है।

- पंचायत के तुरंत बाद निकाय चुनाव की प्रक्रिया बनेगी देरी का कारण
- बजट सत्र की तैयारियों से निपटने के बाद ही कुछ करेगी सरकार

प्रदेश में दो दर्जन बोर्ड एवं निगमों के चेयरमैन बनाए जाने है। कई विश्वविद्यालयों में रजिस्ट्रार और उप कुलपति भी लगाए जाएंगे। साहित्य अकादमियों में अहम पद खाली पड़े हुए हैं। कार्यकर्ताओं के दबाव के चलते इनकी प्रक्रिया चालू हो गई थी। सरकार ने एकदम लिस्ट जारी करने की बजाय एक-एक चेयरमैन घोषित करने का फार्मूला अपनाया। अभी तक तीन चेयरमैन और सदस्य बनाए जा चुके हैं, लेकिन चुनाव आचार संहिता ने कार्यकर्ताओं की मंशा पर पानी फेर दिया है। हरियाणा मंत्रिमंडल की 29 दिसंबर को होने वाली बैठक में राज्य सरकार निकाय चुनाव के लिए शैक्षणिक योग्यता लागू करने का प्रावधान करने जा रही है। सरकार चाहती है कि पंचायत चुनाव खत्म होते ही निकाय चुनाव भी करा दिए जाएं। राज्य में 24 जनवरी तक पंचायत चुनाव होने हैं। यदि निकाय चुनाव होते हैं तो पूरा फरवरी माह इनमें निकल जाएगा। मार्च के पहले सप्ताह में बजट सत्र संभव है। सरकार इसकी तैयारियों में व्यस्त हो जाएगी।

हमें बोर्ड एवं निगमों के चेयरमैन तो बनाने ही हैं। हम धीरे-धीरे बना भी रहे। अब आचार संहिता लग गई। इसलिए फिलहाल काम रुक गया है। हम सिर्फ पदों को सुशोभित करने के लिए नहीं बल्कि काम कराने के लिए चेयरमैन बनाएंगे। **- मनोहर लाल, सीएम।**

हरियाणा की साहित्य अकादमियों को पिछली सरकार लोक संपर्क विभाग के अधीन कर गई थी। अब इन्हें शिक्षा विभाग के अधीन करने की दिशा में काम चल रहा है। उम्मीद की जा सकती है कि जनवरी माह के अंत तक प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और खाली पदों पर नियुक्तियां होंगी। **- प्रो. रामबिलास शर्मा, शिक्षा मंत्री।**

इनेलो नेता भरत के हत्यारों ने ही की कपिल की हत्या

सोनू यादव, गुड़गांव : इनेलो युवा इकाई के जिला उपाध्यक्ष कपिल पहलवान की हत्या उसके गांव के देवा व मंजीत ने की थी। यह बात क्राइम ब्रांच की जांच से सामने आई है। ये दोनों युवक करीब नौ महीने पहले दिल्ली नजफगढ़ के पूर्व विधायक और इनेलो नेता भरत सिंह की हत्या में भी शामिल रहे थे। दोनों पर दिल्ली पुलिस की ओर से 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित है।

गुड़गांव पुलिस दोनों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। अपराध शाखा की टीम ने इस हत्याकांड में शामिल रहे एक नाबालिग किशोर को पकड़ा है। आरोपी से पूछताछ में सामने आया कि खंडेवला निवासी मंजीत और देवा ने साजिश रची थी। उसे व दो अन्य युवकों को वारदात वाले दिन बुलाया गया था। उन्हें पहले से नहीं पता था कि किसकी हत्या करनी है। वारदात वाले दिन उन्हें बाइक पर बैठाकर ले गए और फिर हत्या की वारदात करने के बाद सभी अलग-अलग फरार हो गए थे। खर्च के लिए कुछ पैसे तीनों युवकों को दिए गए थे। इससे पहले भी देवा व मंजीत उन्हें पैसे देते रहे हैं।

आरक्षण के आधार पर प्रमोशन की गुहार

जासं, चंडीगढ़ : आरक्षण का लाभ पाकर पदोन्नत हुए कर्मचारियों की याचिका में कुछ एससी कर्मचारियों ने अर्जी दाखिल कर आरक्षण पॉलिसी के तहत पदोन्नत करने की अपील की है। इनका कहना है कि पूर्व में पदोन्नत हुए एससी कर्मचारियों का प्रमोशन इस याचिका पर निर्भर है ऐसे में उन्हें भी प्रमोट किया जाए और याचिका के परिणाम पर निर्भर रखा जाए। हाईकोर्ट ने अर्जी को रिकॉर्ड पर लेते हुए सुनवाई टाल दी।

काबिलेगौर है कि सिंगल बेंच ने प्रमोशन में आरक्षण को गलत करार देते हुए आरक्षण से प्रमोट हुए कर्मचारियों को डिमोट करने के आदेश दिए थे। इस आदेश को डबल बेंच में चुनौती दी गई थी। याचियों ने कहा था कि उन्हें रिवर्ट किए जाने के आदेश सरासर गलत है और इन्हें खारिज किया जाना चाहिए। सामान्य वर्ग के कर्मचारियों की ओर से कहा गया कि नियमों के अनुरूप इन कर्मचारियों को मिला प्रमोशन गलत है और ऐसे में इन्हें रिवर्ट किया ही जाना चाहिए। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया था कि कुछ याचिकाएं इसी प्रकार की हैं जो सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं और ऐसे में उनपर आने वाले फैसले को देखकर इस याचिका पर आदेश जारी करना आसान हो जाएगा।

santur Silver springs
SECTOR 35, KARNAL

santur group
STYLE • SPACE • SPLENDOUR

आपकी चाहत से ज्यादा
बजट से कम...

"हरियाणा सरकार की अफोरडेबल आवासीय योजना के तहत"

बुकिंग राशि केवल 5% | 4 वर्ष में पोजेशन | 90% बैंक ऋण उपलब्ध

स्कीम खुलने की तारीख 26 दिसंबर 2015 | स्कीम बंद होने की तारीख 14 फरवरी 2016

अफोरडेबल ग्रुप हाऊसिंग प्रोजेक्ट में रिहायशी अपार्टमेंट की बुकिंग हेतु सामान्य जनता से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जो अधिसूचना सं. पीएफ-27/48921 दिनांक 19.08.2013 (विवरण विभाग की वेबसाईट अर्थात tcpharyan.gov.in पर उपलब्ध है) की मार्फत टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित हरियाणा अफोर्डेबल हाऊसिंग पॉलिसी के नियम और शर्तों के अनुसार विकसित होना प्रस्तावित है।

प्रमुख विशेषताएं :

- मुफ्त रख-रखाव 5 वर्ष के लिए • मुफ्त सार्वजनिक कार पार्किंग • कोई ईडीसी/आईडीसी चार्जेज/छिपी लागत नहीं
- कोई पीएलसी/फायर फाइटिंग चार्जेज नहीं • जिम/योगा/मेडिटेशन जोन • हरे-भरे बगीचे और फुवारे
- भूकम्प विरोधी आर.सी.सी ढांचा प्रत्येक टॉवर में दो लिफ्ट • शॉपिंग कॉम्पलैक्स • स्वीमिंग पूल एवं खेल सुविधाएं

फ्लैट का प्रकार/क्षेत्र/लागत एवं अदायगी शर्तें

केटेगरी	फ्लैट की कुल संख्या	कार्पेट एरिया (Sq.Ft.)	बाल्कनी एरिया (Sq.Ft.)	फ्लैट की कुल कीमत (Rs.)	बुकिंग राशि (5% फ्लैट की कुल कीमत का) + सर्विस टैक्स	आवंटन पर 20 % फ्लैट की कुल कीमत का + सर्विस टैक्स
केटेगरी -I (2BHK + स्टडी)	58	646	134	2375600	123086	492344
केटेगरी -II (2BHK)	406	587	100	2163200	112081	448324
केटेगरी -III (2BHK)	402	535	100	1976000	102382	409528
केटेगरी -IV (1BHK)	52	372	100	1389200	71978	287912
केटेगरी -V (1BHK)	55	370	100	1382000	71605	286420
केटेगरी -VI (1BHK)	52	354	100	1324400	68620	274480

• राशि का बकाया 75% 3 वर्ष से अधिक अवधि में 6 बराबर 6 मासिक किश्तों में अदा करना होगा। अदायगी की देय तिथि से पहले कोई ब्याज नहीं वसूला जाएगा। अदायगी में कोई चूक होने पर देरी होने वाली अवधि पर 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर ब्याज लगाया जाएगा। • एक आरक्षित दोपहिया वाहन की पार्किंग का स्थान प्रत्येक फ्लैट के साथ मुफ्त में है। • कैटेगरी 1 फ्लैट पॉलिसी के अनुसार 5 प्रतिशत मैनेजमेंट कोटा के अधीनस्थ हैं। • लागू सर्विस टैक्स, वैट एवं कोई अन्य टैक्स सरकार के नियम के अनुसार मूल्य के ऊपर अतिरिक्त होंगें। उपरोक्त सभी दरें अपार्टमेंट की सभी लागत सहित हैं पॉलिसी अधिसूचना मार्फत सं. पीएफ-27/48921, दिनांक 19.08.2013 के अधीनस्थ निर्धारित दर के अनुसार।

प्रोजेक्ट विवरण

1. प्रोजेक्ट स्वीकृति :	संतूर स्पेस प्राइवेट लिमिटेड व काइंड बिल्डिंग सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (संतूर ग्रुप कं.) आपसी सहयोग में, लाइसेंस नं. 2015 का 4, दिनांक 31.07.2015, बिल्डिंग प्लान स्वीकृति मार्फत मैमो नं. ZP-1094/AD(RA)/2015/22043, दिनांक 06.11.2015 DGTCP HARYANA द्वारा
2. स्थान :	सैक्टर 35, जिला करनाल, हरियाणा-132001
3. प्रावधान :	**प्रोजेक्ट एरिया :** 9.51 एकड़, जिसमें शामिल है कुल 1371 अद्द फ्लैट, जिसमें से डेवलपर्स 1025 फ्लैट्स फेज-1, टॉवर्स A से I, साइट लेआऊट प्लान के अनुसार प्रस्तावित कर रहा है।
4. कम्युनिटी सुविधा :	क्रैच/आंगनवाड़ी, कम्युनिटी हॉल
5. अपार्टमेंट की स्पेसिफीकेशनं :	**फ्लोरिंग** - ड्रॉयिंग/डाइनिंग/बैडरूम/किचन : विट्रिफाइड टाइल्स, मास्टर बैडरूम : लैमिनेटिड वुडन फ्लोरिंग टॉयलेट/बालकॉनी : सेरेमिक टाइल्स। लिफ्ट लॉबी/गलियारा : भारतीय ग्रेनाईट/मारबल/विट्रिफाइड टाइल्स। **विंडोज :** एनोडाइज्ड/पाऊडर कोटिड एलुमिनियम/यूपीवीसी विंडोज। **डोर फ्रेम्स/डोर्स :** हार्डवुड डोर फ्रेम, लैमिनेटिड फ्लश डोर्स के साथ। **बाल टाइल्स :** टॉयलेट्स : सेरेमिक टाइल्स 7 फुट ऊंचाई तक, किचन : सेरेमिक टाइल्स 2 फुट ऊंचाई तक काऊंटर के ऊपर, **किचन काउंटर :** ग्रेनाइट/मारबल स्टेनलेस स्टील सिंक के साथ। **बाल फिनिश :** ऑयल बाउंड डिस्टेम्पर। **प्लंबिंग फिटिंग :** यूपीवीसी/सीपीवीसी/पीपीआर या समकक्ष। **सैनेटरी फिटिंग्स :** स्टैंडर्ड डिजाइन का चाइना वेयर और जेगुआर (कांटिनेंटल रेंज)/समकक्ष सीपी फिटिंग्स। **विद्युत फिटिंग्स :** कॉपर वायरिंग कन्सील कन्ड्यूट्स में और आईएसआई मार्क का सुरक्षात्मक एमसीबी और मॉड्यूलर स्विच/सॉकेट्स। **स्ट्रक्चर :** आई.एस.आई कोड के अनुसार आर.सी.सी फ्रेम स्ट्रक्चर

पात्रता

1. आवेदक किसी भी निरंतर कानून के अंतर्गत कानूनी बाध्य अनुबंध में प्रवेश करने से बाहर न किया गया हो।
2. कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है लेकिन वह व्यक्ति, जिसमें उसकी पत्नी या उसके निर्भर बच्चे, जो हुडा डेवलप कॉलोनी/सैक्टर या हरियाणा, चंडीगढ़ और एनसीटी दिल्ली में अर्बन एरिया में किसी भी मंजूरीशुदा कॉलोनी में कोई भी फ्लैट/प्लॉट न रखता हो, को फ्लैट्स के आबंटन में प्रथम वरीयता प्रदान की जाएगी।
3. एक आवेदक केवल एक ही आवेदन कर सकता है। कोई भी सफल आवेदक इस पॉलिसी के अधीनस्थ किसी अन्य कॉलोनी में इस पॉलिसी के अधीनस्थ किसी अन्य प्लॉट के आबंटन हेतु पात्र नहीं होगा। उसके एक से ज्यादा कॉलोनी में सफल होने के मामले में उसे केवल एक फ्लैट को रखने की अनुमति होगी।

आवंटन मानदंड

1. अपार्टमेंट का आबंटन उपायुक्त या उसके प्रतिनिधि (न्यूनतम हरियाणा सिविल सर्विस के कोड का) सीनियर टाऊन प्लानर (सर्कल/ऑफिस), संबंधित जिले का डीटीपी और संबंधित कॉलोनाइजर के प्रतिनिधि सहित एक समिति की उपस्थिति में लाट्स के ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा।
2. लॉट्स के ड्रॉ हेतु तिथि के निर्धारण के बाद उसी समाचार पत्र में लॉटस के ड्रॉ की तिथि, समय और स्थान से संबंधित विवरण के बारे में आवेदकों को सूचित करने हेतु डेवलपर द्वारा एक विज्ञापन जारी किया जाएगा, जिसमें मूल विज्ञापन जारी किया गया था।
3. विस्तृत मानदंड और समीक्षा और आबंटन हेतु अपनाई गई समय सूची के लिए आवेदक अफोर्डेबल हाऊसिंग पॉलिसी 2013 अधिसूचना मार्फत सं. पीएफ-27/48921, दिनांक 19.08.2013 (विभाग की वेबसाईट अर्थात tcpharyana.gov.in पर उपलब्ध है) में विवरण हेतु देख सकते हैं।

आनलाइन फॉर्म उपलब्ध हैं और जमा करवाए जा सकते हैं www.santursilversprings.com पर

आवेदन फॉर्म खरीदे और जमा करवाए जा सकते हैं (आवेदन फॉर्म का मूल्य केवल रु. 200/- है)

www.santursilversprings.com
Call : 8287445566

SANTUR SPACES PVT. LTD (CIN No. U45201DL2012PTC237231)
Corporate Office : E - 6, Greater Kailash, Part 1, New Delhi - 110048, Phone : 011-46548102/03/04 | Email: info@santurgroup.com | Web: www.santurgroup.com
Karnal Office : SCO-235, Sector-12A, Karnal,Haryana, Ph. : 0184 - 6990990 / 6990996 | Email: silversprings@santurgroup.com
Site Office : Sector-35, Karnal,Haryana, Ph.:8287445566